षोडश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-06 सोमवार, दिनांक- 18 फरवरी, 2019 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.05 बजे पूर्वाह्न तक ।

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से बार-बार अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने स्थान पर जाए एवं सभा की कार्यवाही चलाने में सहयोग करें ।

किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 03.25 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[1] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना** :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में तृतीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग श्री नन्द किशोर यादव द्वारा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

(iii) माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)(संशोधन) नियमावली, 2018 की प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

(iv) माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग, श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वर्ष 2015-16 का वार्षिक लेखा की प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

(v) माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति श्री अजय कुमार मंडल द्वारा समिति का 247वाँ, 268वाँ, 269वाँ, 272वाँ एवं 273वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

(vi) माननीय सभापति, निवेदन समिति श्री भाई बिरेन्द्र द्वारा समिति का सप्तम् एवं अष्टम् प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

[2] **विधायी कार्य :-**

राजकीय विधेयक :-

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक, 2019''

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग (माननीय मुख्यमंत्री) द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री अवधेश कुमार सिंह एवं श्रीमती अमिता भूषण द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुए तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग (माननीय मुख्यमंत्री) द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक, 2019** सदन से स्वीकृत हुआ ।

''बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन)(संशोधन) विधेयक, 2019''

माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री राम नारायण मंडल द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर दिए गए किसी भी संशोधन को माननीय सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त **बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन)(संशोधन) विधेयक, 2019** सदन से स्वीकृत हुआ ।

''इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019''

माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पाण्डेय द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर दिए गए किसी भी संशोधन को माननीय सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त **इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019** सदन से स्वीकृत हुआ ।

''बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2019''

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर दिए गए किसी भी संशोधन को माननीय सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

तदुपरान्त **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2019** सदन से स्वीकृत हुआ ।

''बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति (निरसन) विधेयक, 2019''

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर दिए गए किसी भी संशोधन को माननीय सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

तदुपरान्त **बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति (निरसन) विधेयक, 2019** सदन से स्वीकृत हुआ ।

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019''

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर दिए गए किसी भी संशोधन को माननीय सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

तदुपरान्त **बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019** सदन से स्वीकृत हुआ ।

''बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2019''

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर दिए गए किसी भी संशोधन को माननीय सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त **बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2019** सदन से स्वीकृत हुआ ।

[3] राजकीय संकल्प :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा प्रस्ताव किया गया कि यह सभा संकल्प लेती है कि ''वर्ष 2021 की जनगणना जातीय आधार पर करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से सदन से स्वीकृत हुआ ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा प्रस्ताव किया गया कि यह सभा संकल्प लेती है कि ''विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू कि गई विभागवार रोस्टर प्रणाली को समाप्त करते हुए पूर्ववत् विश्वविद्यालय स्तरीय रोस्टर के आधार पर नियुक्ति करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

यह प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

[4] माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा :-

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन में निम्नांकित तीन घोषणाएँ की गई :-

(i) विकास मित्रों के मानदेय में 2500/- रूपये प्रति माह की दर से वृद्धि करते हुए उनके मानदेय को 12,500/- रूपये प्रति माह किया गया । यह वृद्धि 01 फरवरी, 2019 से लागू होगी ।

(ii) शिक्षा सेवकों के मानदेय में 2000/- रूपये प्रति माह की दर से वृद्धि करते हुए उनके मानदेय को 10,000/- रूपये प्रति माह किया गया । यह वृद्धि 01 फरवरी, 2019 से लागू होगी ।

(iii) सरकारी विद्यालय के रसाईयों के मानदेय में 250/- रूपये प्रति माह की दर से वृद्धि करते हुए उनके मानदेय को 1,500/- रूपये प्रति माह किया गया । यह वृद्धि 01 फरवरी, 2019 से लागू होगी ।

[5] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 48 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-20 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-18.02.2019

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।